ायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

ासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

जस्व वाद संख्या : 112/2007

ीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. घेवर (फौत) पुत्र भाला
   के कायम मुकाम :-
   1/1 पुखाराम पुत्र घेवरराम
   1/2 धनाराम पुत्र घेवरराम
   1/3 बगताराम पुत्र घेवरराम
   1/4 सायरी पुत्री घेवरराम
   1/5 हारकी पुत्र घेवरराम
2. पाबू पुत्र भाला (फौत)
   के कायम मुकाम :-
   2/1 कालूराम पुत्र पाबूराम
   2/2 रामलाल पुत्र पाबूराम
   2/3 चैनाराम पुत्र पाबूराम
   2/4 दुलाराम पुत्र पाबूराम
   जातियान-माली निवासी-आ0कालू
   तहसील-जैतारण,जिला-पाली (राज.)

1. मंगलाराम पुत्र रुघा (फौत)
   के कायम मुकाम :-
   1/1 हुकमाराम पुत्र मंगलाराम
2. धारुराम पुत्र रुघा
3. बाबूलाल पुत्र रुघा जातियान भांबी निवासी आ0 कालू तहसील जैतारण जिला पाली
4. विजयसिंह मेहरिया पुत्र बंशीधर मेहरिया जाति बलाई निवासी पुजारी का बास, तहसील सवाई माधोपुर जिला सीकर राज.
5. धन्नाराम पुत्र सुखराम जाति बावरी निवासी बिरोल तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान
6. तहसीलदार जैतारण
7. पटवारी पटवार हल्का आ0 कालू चक सं. 2 तहसील जैतारण पाली

राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:. 11/06/2007

उपस्थित:. 1 श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादीगण।
2 श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय:- **दिनॉक: 01/07/2015**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-आ0कालू-द्वितीय, तहसील-जैतारण में वादीगण की कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 571 रकबा 21 बीघा किस्म बारानी प्रथम की आई हुई हैं। जिस पर वादीगण के बाप दादा वक्त सैटलमेट से पहले एवं वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त शांति पूर्वक बिना किसी रोक टोक के करते आ रहे है। वादीगण के अलावा जमीन पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा व काश्त नहीं रहा न ही वर्तमान में है। वादीगण बतौर खातेदार काश्तकार की हैशियत से काश्त करते आ रहे हैं। वादीगण अनपढ गरीब काश्तकार है। वादीगण के बाप दादा का नाम राजस्व रेकर्ड गिरदावरी में संवत 2010-2023 तक दर्ज हैं। वादीगण ने खातेदारी अधिकार के लिए पूर्व में एक वाद संख्या 28/95 घेवर बनाम मोंगिया पेश किया था। उक्त वादीगण के पक्ष में राजस्व अपील अधिकारी पाली के न्यायालय से अपील संख्या 4/96 दिनांक 30/6/2000 को डिक्री हुआ था। जिसमें

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3 पक्षकार थे। राजस्व अपील अधिकारी पाली के निर्णय दिनांक 30/6/2000 के विरुद्ध राजस्व मण्डल अजमेर मे अपील हुई थी, जो अपील संख्या 66/01 दिनाक 26/7/2001 को खारीज हो गई उक्त राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट संख्या 122/2004 पेश हुई जो दिनांक 29.03.04 को उक्त रिट खारीज हुई। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 व तहसीलदार जैतारण की अपील व रिट खारीज होने के बाद वादीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के दर्जे करने के लिए नामान्तरकरण भरा गया लेकिन तहसीलदार जैतारण ने म्यूटेशन स्वीकृत करने हेतू राजकीय विधि सलाहकार पाली को राय के लिए मिसल भेजी थी जो अभी तक जेरतजवीज हैं। प्रतिवादी संख्या 1,2,3 व दाखुडी बेवा रुघाराम खातेदारी में गलत नाम दर्ज होने से नाजायज फायदा उठाने की वजह से उक्त विवादित भूमि की रजिस्ट्री संख्या 4,5 के नाम पुरानी खातेदारी की नकल के आधार पर दिनांक 07/06/2007 को करव दी। जो विधि विरुद्ध होने से उक्त रजिस्ट्री शुन्य हैं। उक्त भूमि का नामान्तरकरण वादीगण के नाम स्वीकृत करने बाबत तहसीलदार जैतारण के समक्ष विचाराधीन होते हुए भी तहसीलदार जैतारण ने जानबुझकर पुरानी खातेदारी के आधार व बिना गिरदावरी के प्रलोभन में आकर बतौर उप पंजीयन अधिकारी के रजिस्ट्री कर दी जो विधि विरुद्ध होने से काबिल खारीज के हैं। उक्त भूमि पर पिछले 50 वर्षो से वादीगण काबिज है प्रतिवातीगण आउन्ट आप पजेशन है प्रतिवादीगण को यह मालुम ही नहीं है कि उक्त भूमि कहां पर स्थित है केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में रोंग एन्ट्री का फायदा उठाने की नियत से बाहर के अजनबी लोगो के नाम 3/4 हिस्से की रजिस्ट्री करवाई गई जो गलत है प्रतिवादी संख्या 1,2,3 की माता दाखुडी 1/4 हिस्से की रजिस्ट्री होनी शेष हैं। मृतक मांगिया लावल्द फोत हुआ था उसके कोई वारिस नहीं थें। उसका नाम राजस्व रेकर्ड में गलत रुप से दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 मांगीया के वारिस नहीं होते हुउ भी खसरा नम्बर 571 रकबा 21 बीघा जमीन के राजस्व रेकर्ड में गलत नाम दर्ज करवा दिया। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का नाम माफिक रजिस्ट्री राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने के लिए पटवारी हल्का आ0 कालू चक नम्बर 2 के पास फिर रहे हैं उक्त सूचना प्रतिवादी संख्या 7 पटवारी हल्का आ0 कालू चक नम्बर 2 ने वादीगण को उक्त भूमि की रजिस्ट्री प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के नाम होने का कहने पर सर्व प्रथम ज्ञात हुआ। पटवारी हल्का आ.कालू 2 ने यह भी कहा कि प्रतिवादी संख्या 4,5 अपने नाम म्यूटेशन भरवाने के लिए मेरे पर दबाव डाल रहे हैं जबकि उक्त जमीन के मौके पर केता व विकेता का कब्जा नही रहा न वर्तमान में हैं। कल दिनांक 08/06/2007 को रजिस्ट्री व जमाबंदी की नकले लेने पर रजिस्ट्री होने का वादीगण को ज्ञात हुआ। प्रतिवादी संख्या 6 तहसीलदार प्रतिवादी संख्या 7 पटवार हल्का आ0कालू राज्य सरकार के अधिकारी व कर्मचारी होने से व उक्त भूमि का म्यूटेशन माफिक रजिस्ट्रो के दर्ज करने का कहने से इनको आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं उक्त वाद आवश्यक प्रकृति का होने से दो माह का नोटिस देने पर वाद मकसद खत्म हो जाने से इनको 80 सी पी सी का नोटिस नहीं देकर 80(2) सीपीसी की दरख्वास्त पेश कर उक्त वाद पेश करने की अनुमति प्राप्त कर उक्त वाद पेश किया जा रहा हैं। वादीगण का बिनाय दावा दिनांक 07/06/2007 को विवादित भूमि की रजिस्ट्री भूमि होने व दिनांक 08/06/2007 को रजिस्ट्री होने का ज्ञात होने पर बमुकाम आ0कालू व जैतारण में पैदा हुआ जो न्यायालय के क्षैत्राधिकार व अन्दर मयाद पेश हैं। इस प्रकार माफिक दावा वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

ाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को रिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रति0 संख्या 1 व 2 की ओर से श्री श्यामलाल तंवर ने दिनांक 13/09/2007 तथा प्रति0 संख्या 3 व 5 की ओर से श्री श्यामलाल तंवर अधिवक्ता ने दिनांक 30/07/2007 को वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 हैं। प्रति0 संख्या 6 व 7 को बावजूद तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 13/09/2007 को तथा दिनांक 02/09/2008 को की गई। प्रति0 संख्या 1 से 3 व 5 को अनेकानेक अवसर दिये जाने पर भी जबाबदावा पेश करने में विफल रहने से अवसर समाप्त किया जाकर जबाबदावा दिनांक 26/06/2015 को बन्द किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-आनन्दपुर कालू में दिनांक 26/06/2015 को मुकर्रर हुई। राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-आ0कालू में पटवारी हल्का-आ0कालू चक-।। से जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई, के अनुसार वादीगण संख्या 1 धेवर फौत हो जाने से जमाबन्दी अनुसार 1/1 से 1/5 का का0मु0 रेकर्ड पर लिये जाते हैं। पत्रावली पुनः राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-काणेचा पर मुकर्रर होकर पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उपस्थित पक्षकारान् को सुना गया। प्रस्तुत वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार वादीगण उक्त विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज होना बखूबी प्रमाणित हैं। जिससे स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाकर वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 को दखलन्दाजी करने से रोका जाना उचित समझते हैं। फलस्वरूप प्रति0 संख्या 4 की पुनः तलब किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं।

-:: आदेश ::-

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-आ0कालू-द्वितीय, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में खसरा नम्बर 571 रकबा 21 बीघा किस्म बारानी प्रथम में वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को दखलन्दाजी करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। चूँकि वादीगण स्वयं खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं, जिससे दिगर ईश्तदुआ अस्वीकार की जाती हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 01/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-काणेचा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

ईजलास :– श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०

गण :– बनाम प्रतिवादीगण :–

1. घेवर (फौत) पुत्र भाला
के कायम मुकाम :–
1/1 पुखाराम पुत्र घेवरराम
1/2 धनाराम पुत्र घेवरराम
1/3 बगताराम पुत्र घेवरराम
1/4 सायरी पुत्री घेवरराम
1/5 हारकी पुत्र घेवरराम
2. पाबू पुत्र भाला (फौत)
के कायम मुकाम :–
2/1 कालूराम पुत्र पाबूराम
2/2 रामलाल पुत्र पाबूराम
2/3 चैनाराम पुत्र पाबूराम
2/4 दुलाराम पुत्र पाबूराम
जातियान–माली निवासी–आ0कालू
तहसील–जैतारण,जिला–पाली (राज.)

1. मंगलाराम पुत्र रुघा (फौत)
के कायम मुकाम :–
1/1 हुकमाराम पुत्र मंगलाराम
2. धारुराम पुत्र रुघा
3. बाबूलाल पुत्र रुघा जातियान भांबी
निवासी आ0 कालू तहसील जैतारण
जिला पाली
4. विजयसिंह मेहरिया पुत्र वंशीधर
मेहरिया जाति बलाई निवासी
पुजारी का बास, तहसील सवाई
माधोपुर जिला सीकर राज.
5. धन्नाराम पुत्र सुखराम जाति बावरी
निवासी बिरोल तहसील जैतारण
जिला पाली राजस्थान
6. तहसीलदार जैतारण
7. पटवारी पटवार हल्का आ0 कालू
चक सं. 2 तहसील जैतारण पाली

<u>राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

मु0न0 :रा0वा0 स0:112/2007

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....–.........
व हाजरी श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–आ0कालू–द्वितीय, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में खसरा नम्बर 571 रकबा 21 बीघा किस्म बारानी प्रथम में वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को दखलन्दाजी करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। चूँकि वादीगण स्वयं खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं, जिससे दिगर ईश्तदुआ अस्वीकार की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 01/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

इई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
म्प अर्जी दावा	०१	००	स्टाम्प वकालतनामा	०२	००
म्प वकालतनामा	०१	००	स्टाम्प अर्जी		
म्प वजह सबूत	०६	००	महनताना वकील		
नताना वकील			खर्चा गवाहान		
र्चा गवाहान	०३	००	फीस कमीश्नर		
स कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	११	००	मिजानः-	०२	००

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner